शुद्धिपत्र

संख्या– 471 / 22–4–2011–48(3) / 10

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–4 लखनऊ:दिनांक– 10 फरवरी,2011

विषयः– केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में बैरकों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–433 / 22–4–2011–48(3) / 10 दिनांक–07.02.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में एक स्थान पर केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के स्थान पर त्रुटिवश केन्द्रीय कारागार वाराणसी अंकित हो गया है।

2– अतः उक्त शासनादेश दिनांक–07.02.2011 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित **"केन्द्रीय कारागार वाराणसी" के स्थान पर "केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद"** पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक–07.02.2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।

संख्या– 471 (1) / 22–4–2011–तद् दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल–आडिट), उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र.,इलाहाबाद।
3– प्रबंध, निदेशक, यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,उ0प्र, लखनऊ।
5– जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
6– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8– वेबमास्टर, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
9– गृह (पुलिस) अनुभाग–15
10– वित्त(व्ययनियंत्रण)अनुभाग–12 / वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 / 2
11– वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।